अनुदान संख्या 19 - रक्षा मंत्रालय (सिविल)
GRANT No. 19 - MINISTRY OF DEFENCE (CIVIL)

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged -*				
मूल	*Original*	*99,00*	*2,29,00*	*52,29*	*-1,76,71*
पूरक	*Supplementary*	*1,30,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*1,48,00*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	37068,72,00	41476,95,00	40829,23,93	-647,71,07
पूरक	Supplementary	4408,23,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged -*				
मूल	*Original*	*20,00,00*	*22,00,00*	*13,74,77*	*-8,25,23*
पूरक	*Supplementary*	*2,00,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	8829,79,00	10976,75,00	10762,78,54	-213,96,46
पूरक	Supplementary	2146,96,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				183,54,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, समग्र बचतें (*₹176.71 लाख*) दिसम्बर, 2023 और मार्च, 2024 में प्राप्त किए गए *₹130.00 लाख* से अधिक हो गई और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 77 प्रतिशत थीं।

(I) तीन शीर्षों के अंतर्गत *₹44.00 लाख* का *विनियोग* पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा और अंततः अभ्यर्पित किया गया।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, समग्र बचतें (₹64771.07 लाख) दिसंबर, 2023 और फरवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹440823.00 लाख के पूरक प्रावधान की 15 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (*₹176.71 lakhs*) exceeded the supplementary *appropriation* of *₹130.00 lakhs* obtained in December, 2023 and February, 2024 and constituted 77 percent of the total sanctioned *appropriation.*

(I) *Appropriation* of *₹ 44.00 lakhs* remained wholly unutilised under three heads and was eventually surrendered.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings of (₹64771.07 lakhs) constituted 15 percent of the supplementary grant of ₹440823.00 lakhs obtained in December, 2023 and February, 2024 and 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2014"	Major Head "2014"				
न्याय प्रशासन	Administration of Justice				
मू.	O.	4480.00			
पू.	S.	2214.00	5326.00	4750.24	-575.76
पु.	R.	-1368.00			
मुख्य शीर्ष "2037"	Major Head "2037"				
सीमा शुल्क	Customs				
मू.	O.	366147.00			
पू.	S.	67309.00	410923.00	406264.56	-4658.44
पु.	R.	-22533.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय – सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services				
मू.	O.	751172.00			
पू.	S.	30582.00	762155.00	716402.99	-45752.01
पु.	R.	-19599.00			
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	179729.00			
पू.	S.	13853.00	214773.00	209881.07	-4891.93
पु.	R.	21191.00			
मुख्य शीर्ष "2075"	Major Head "2075"				
विविध सामान्य सेवाएं	Miscellaneous General Services				
मू.	O.	2298100.00			
पू.	S.	301865.00	2625835.00	2620006.26	-5828.74
पु.	R.	25870.00			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	550.00			
			50.00	..	-50.00
पु.	R.	-500.00			
मुख्य शीर्ष "3054"	Major Head "3054"				
सड़क तथा पुल	Roads and Bridges				
मू.	O.	95000.00			
			120000.00	117333.95	-2666.05
पू.	S.	25000.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-Aid to State Governments				
मू.	O.	4950.00	2200.00	2075.68	-124.32
पु.	R.	-2750.00			

(I) मुख्य शीर्ष "2552" – "सड़कें और सेतु – सीमा सड़क संगठन" के अंतर्गत ₹550.00 लाख का प्रावधान एक मामले में उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं में उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹550.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2552" - "Road & Bridges - Border Roads Organisation" - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2052" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के तहत पूरी तरह से अप्रयुक्त रहाः–

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2052" remained wholly unutilised under the following heads:-

(का) "सचिवालय" –

(A) "Secretariat" -

(क) "रक्षा उत्पादन विभाग (डी. पी.)" – ₹20678.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹300.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹20978.00 लाख तक बढ़ाया गया। तथापि, रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना (डी. टी. आई. एस.) के तहत प्रस्ताव के लिए आरंभिक रूप से जारी अनुरोध का उत्तर नहीं मिलने, राज्य डी. आई. सी. (रक्षा औद्योगिक गलियारा) को परियोजना सौंपने की प्रक्रिया में देरी होने, रक्षा मंत्रालय और रक्षा उत्पादन विभाग के बीच निधियों के संवितरण के लिए संविदा और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को अंतिम रूप नहीं दिए जाने, वेतन, भत्तों, छुट्टी यात्रा रियायत, कार्यालय व्यय, डिजिटल उपकरण, विज्ञापन और प्रचार के लिए कम निधियों

(a) "Department of Defence Production (DP)" - the original provision of ₹20678.00 lakhs was augmented to ₹20978.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹300.00 lakhs. However, there was a saving of ₹7561.16 lakhs (including supplementary grant) - due to lack of response to initially issued Request for Proposal under Defence Testing Infrastructure Scheme (DTIS), late process in award of projects to State DICs (Defence Industrial Corridor), non-finalisation of signing of contracts and MoUs of funds disbursement between

की आवश्यकता होने के कारण ₹7561.16 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

(ख) "सीमा सड़क संगठन" – ₹416275.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹11925.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹428200.00 लाख तक बढ़ाया गया। तथापि, संस्वीकृति मिलने में देरी होने के कारण बकाया राशि का भुगतान नहीं होने, वित्तीय वर्ष के अंत में ही संस्वीकृति प्राप्त होने के कारण जोखिम और दुर्गम भत्ते की अदायगी नहीं होने, छुट्टी यात्रा रियायत, प्रशिक्षण के लिए कम संख्या में दावे प्राप्त होने और जीईएम बिलों की अदायगी नहीं होने के कारण ₹30825.47 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई ।

(खा) "अन्य कार्यालय – रक्षा लेखा विभाग (डी. ए. डी.)" – ₹223873.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹2628.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹226501.00 लाख तक बढ़ाया गया। तथापि, रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, पुरस्कारों, छुट्टी यात्रा रियायत, भत्तों, भूमि और भवन के लिए किराया, दरों और करों, डिजिटल उपकरणों, सामग्रियों और आपूर्तियों, ईंधन और लुब्रिकेंटों, मरम्मत और रखरखाव के लिए कम मात्रा में निधियों की आवश्यकता होने और कम संख्या में यात्राएं किए जाने के कारण ₹10921.69 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत हुई।

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान प्रत्येक के समक्ष दर्शायी गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:–

(का) मुख्य शीर्ष "2014" – "अन्य व्यय – सशस्त्र बल अधिकरण" – ₹4480.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹2214.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹6694.00 लाख तक बढाया गया, जो, तथापि, रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, यात्राओं,

Ministry of Defence and Department of Defence Production, requirement of less funds towards salaries, allowances, leave travel concession, office expenses, digital equipment, advertising & publicity.

(b) "Border Roads Organisation" - the original provision of ₹416275.00 lakhs was augmented to ₹428200.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹11925.00 lakhs. However, there was a saving of ₹30825.47 lakhs (including supplementary grant) - due to non-payment of arrears owing to delay in receipt of sanction, non-payment of Risk and Hardship allowance as sanction received at the fag end of the financial year, receipt of less claims on account of leave travel concession, training and non-payment of GeM bills.

(B) "Other Offices - Defence Accounts Department (DAD)" - the original provision of ₹223873.00 lakhs was augmented to ₹226501.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2628.00 lakhs. However, there was a saving of ₹10921.69 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards rewards, leave travel concession, allowances, rent, rates and taxes for land and buildings, digital equipments, material and supplies, fuels and lubricants, repair and maintenance and less tours undertaken.

(III) Supplementary grant under the following major heads remained unutilised to extent as shown against each:-

(A) Major Head "2014" - "Other Expenditure - Armed Forces Tribunal" - the original provision of ₹4480.00 lakhs was augmented to ₹6694.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2214.00 lakhs

कार्यालय व्यय पुरस्कारों, छुट्टी यात्रा रियायत, भूमि और भवनों के किराए दर और करों, अन्य प्रशासनिक व्ययों, चिकित्सा प्रतिपूर्तियों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और मरम्मत संबंधी कार्यों के प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण ₹1943.76 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

which, however, remained unutilized to the extent of ₹1943.76 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards tours, office expenses, rewards, leave travel concession, rent rates and taxes for land and buildings, other administrative expenses, medical re-imbursements and non-finalisation of repair works proposal.

(खा) मुख्य शीर्ष "2037" – "निवारक और अन्य कार्य – तट रक्षक संगठन" – ₹366147.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹67309.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹433456.00 लाख तक बढ़ाया गया, जो, तथापि, रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, पुरस्कारों, चिकित्सा प्रतिपूर्तियों, प्रशिक्षण, प्रिंटिंग और प्रकाशन, भत्तों, कार्यालय व्यय, भूमि और भवनों के लिए किराया, दर और करों, डिजिटल उपकरण, सामग्रियों और आपूर्तियों, ईंधन और लुब्रिकेंटों, मरम्मत और रखरखाव के लिए कम मात्रा में निधियों की आवश्यकता होने और विज्ञापन कार्यक्रमों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण ₹27191.44 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहे।

(B) Major Head "2037" - "Preventive & Other Functions - Coast Guard Organisation" - the original provision of ₹366147.00 lakhs was augmented to ₹433456.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹67309.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹27191.44 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards rewards, medical reimbursements, training, printing and publications, allowances, office expenses, rent, rate and taxes for land and buildings, digital equipment, materials and supplies, fuels and lubricants, repair and maintenance and non-finalisation of advertisement programme.

(गा) मुख्य शीर्ष "2052" – "अन्य कार्यालय – रक्षा संपदा संगठन (डी. ई. ओ.)" – ₹61256.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹15728.00 का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹76984.00 लाख तक बढ़ाया गया, जो, तथापि, रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, छुट्टी यात्रा रियायत, भत्तों, कार्यालय व्यय, भूमि और भवनों के लिए किराया, दर और करों, डिजिटल उपकरणों, सामग्रियों और आपूर्तियों, ईंधन और लुब्रिकेंटों, मरम्मत और रखरखाव के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और कम संख्या में दौरे किए जाने के कारण ₹10255.47 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(C) Major Head "2052" - "Other Offices - Defence Estate Organisation (DEO)" - the original provision of ₹61256.00 lakhs was augmented to ₹76984.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹15728.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹10255.47 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards rewards, medical re-imbursements, leave travel concession, allowances, office expenses, rent, rate and taxes for land and buildings, digital equipments, materials and supplies, fuels and lubricants, repair and maintenance and less tours undertaken.

(घा) मुख्य शीर्ष "3054" – "सामरिक और सीमा सड़कें – सड़क निर्माण कार्य" –

(क) "सीमा सड़क संगठन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव" – ₹13300.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹3700.00 का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹17000.00 लाख तक बढ़ाया गया, जो, तथापि,

(D) Major Head "3054" - "Strategic and Border Roads - Road works" -

(a) "Maintenance of NHs by Border Roads Organisation" - the original provision of ₹13300.00 lakhs was augmented to ₹17000.00 lakhs by obtaining

राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रखाव के लिए कम मात्रा में निधियों की आवश्यकता होने के कारण ₹451.49 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

supplementary grant of ₹3700.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹451.49 lakhs - due to requirement of less funds towards repairs and maintenance of National Highways.

(ख) "राष्ट्रीय राजमार्गों से इतर सड़कों का रखरखाव" – ₹70000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹19200.00 का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹89200.00 लाख तक बढाया गया, जो, तथापि, लंबित औपचारिकताओं के कारण जीईएम/एस. ओ. बिलों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने की वजह से ₹2111.89 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(b) "Road Maintenance other than NHs" - the original provision of ₹70000.00 lakhs was augmented to ₹89200.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹19200.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹2111.89 lakhs - due to non-materialisation of GeM/SOs bills owing to pending formalities.

(IV) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईः–

(IV) Under Major Head "2052" - "Secretariat" - savings occurred under the following heads:-

(का) "रक्षा विभाग (डी. ओ. डी.)" – ₹4572.51 लाख की बचत (₹1.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹25586.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, छुट्टी यात्रा रियायत, डिजिटल उपकरणों, सामग्री और आपूर्तियों, ईंधन और लुब्रिकेंटों और व्यवसायिक सेवाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(A) "Department of Defence (DoD)" - saving of ₹4572.51 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹25586.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards leave travel concession, digital equipment, material and supplies, fuels and lubricants and professional services.

(खा) "भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (डी. ई. एस. डब्ल्यू.)" – ₹501.18 लाख की बचत (₹951.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छुट्टी यात्रा रियायत, विज्ञापन और प्रचार, डिजिटल उपकरणों और वेतन और भत्तों और कम संख्या में यात्रा करने के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(B) "Department of Ex-Servicemen Welfare (DESW)" - saving of ₹501.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹951.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards leave travel concession, advertisement & publicity, digital equipment and pay & allowances and less tours undertaken.

(गा) "सैन्य कार्य विभाग" – ₹596.65 लाख की बचत (₹2344.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छुट्टी यात्रा रियायत, वेतन और भत्तों, विज्ञापन और प्रचार, लघु सिविल और वैद्युत कार्यों अन्य राजस्व संबंधी व्ययों और कम संख्या में यात्रा करने के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(C) "Department of Military Affairs" - saving of ₹596.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2344.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards leave travel concession, pay & allowances, advertisement and publicity, minor civil & electrical work, other revenue expenses and less tours undertaken.

(V) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित योजना – केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से अनुदान – बी. आर. डी. बी. के तहत सड़क निर्माण कार्य" – ₹2874.32 लाख की बचत (₹4950.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सड़क निर्माण कार्य के लिए कम मात्रा में निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Grants from Central Road and Infrastructure Fund - Road works under BRDB" - saving of ₹2874.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4950.00 lakhs) was due to requirement of less funds toward road works.

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹338.22 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 45 प्रतिशत है।

(VI) Under one head saving of ₹338.22 lakhs occurred constituting 45 percent of the sanctioned provision.

3. उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुए अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईः–

3. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) मुख्य शीर्ष "2055" – "विशेष पुलिस – जम्मू और कश्मीर लाइट इंफ़ेंटरी (जे. ए. के. एल. आई.) के संबंध में अदा किए गए शुल्क" – ₹16299.07 लाख का अधिक व्यय (₹13853.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹193582.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जोखिम और दुर्गम भत्तों की अदायगी और भुगतान बुक डेबिट वाउचरों के निपटान के लिए अधिक मात्रा में निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(I) Major Head "2055" - "Special Police - Charges paid in respect of J&K Light Infantry (JAKLI)" - excess of ₹16299.07 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹193582.00 lakhs including supplementary grant of ₹13853.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment of arrears of Risk and Hardship allowance and settlement of Payment Book Debit Vouchers.

(II) मुख्य शीर्ष "2075" – "कैंटीन स्टोर भंडार (सी. एस. डी.) – कैंटीन सेवा निदेशालन" – ₹20041.26 लाख का अधिक व्यय (₹301865.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹2599965.00 लाख के कुल स्वीकृत अनुदान की तुलना में) चिकित्सा दावों, कार्यालय व्ययों, अन्य मदों के किराये, डिजिटल उपकरणों, इंधन और लुब्रिकेंटों, मरम्मत और रखरखाव, आपूर्तियों, सामग्रियों और भंडारों की खरीद के लिए अधिक मात्रा में निधियों की आवश्यकता होने और अधिक संख्या में यात्राएं करने के कारण हुई।

(II) Major Head "2075" - "Canteen Stores Department (CSD) - Directorate of Canteen Services" - excess of ₹20041.26 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2599965.00 lakhs including supplementary grant of ₹301865.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards medical claims, office expenses, rent for others, digital equipment, fuel & lubricants, repair and maintenance, purchase of supplies, materials and stores and more tours undertaken.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में समग्र बचतें (*₹ 825.23 लाख*) दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए *₹200.00 लाख* के पूरक *विनियोग* से अधिक हो गईं और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 38 प्रतिशत थीं।

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, the overall savings (*₹ 825.23 lakhs*) exceeded the supplementary *appropriation* of *₹200.00 lakhs* obtained in December, 2023 and constituted 38 percent of the total sanctioned *appropriation.*

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईंः–

Saving occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5054"	Major Head "5054"				
सड़कों एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Roads and Bridges		*2000.00*	*1374.77*	*-625.23*

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत *₹200.00 लाख* का *विनियोग* पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *₹ 200.00 lakhs* remained wholly unutilised under one head.

(II) "सामरिक और सीमा सड़कें – सड़क निर्माण कार्य – सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत निर्माण कार्य" – *₹625.23 लाख* की बचत (*₹ 2000.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना) न्यायालय मामलों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(II) Under "Strategic and Border Roads - Road Works - Works under Border Roads Organisation" - saving of *₹ 625.23 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹ 2000.00 lakhs*) was due to non-finalisation of court cases.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुएः–

5. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

मुख्य शीर्ष "4047"	Major Head "4047 "				
अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Fiscal Services				
मू.	O.	353600.00			
पू.	S.	24135.00	414935.00	412523.69	-2411.31
पु.	R.	37200.00			
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"				
लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	5550.00			
			3198.00	3167.08	-30.92
पु.	R.	-2352.00			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4070"	Major Head "4070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on other Administrative Services				
मू.	O.	13109.00			
पू.	S.	1791.00	13938.00	12799.91	-1138.09
पु.	R.	-962.00			
मुख्य शीर्ष "4075"	Major Head "4075"				
विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Miscellaneous General Services				
मू.	O.	2615.00			
			1065.00	784.79	-280.21
पु.	R.	-1550.00			
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"				
आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	2455.00			
पू.	S.	545.00	2310.00	2242.64	-67.36
पु.	R.	-690.00			
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	50000.00			
पू.	S.	15000.00	..	..	..
पु.	R.	-65000.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5054"	Major Head "5054"				
सड़कों एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	O.	455500.00			
पू.	S.	137500.00	608000.00	608891.43	+891.43
पु.	R.	15000.00			

(I) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹65200.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹15000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, जिसमें से ₹65000.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "4552" – "सड़क निर्माण कार्य – बी. आर. ओ. के सड़क स्कंध के तहत सड़क विकास कार्य" के अंतर्गत उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को निधियां पुनर्विनियोग किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹65200.00 lakhs (including supplementary grant of ₹15000.00 lakhs obtained in December, 2023) remained wholly unutilised under three heads; of these ₹65000.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4552" - "Road Works - Road Development works under Road Wings and BRO" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए अनुसार पूरी तरह से अप्रयुक्त रहाः–

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "4070" – "निदेशन और प्रशासन – सचिवालय – सामान्य सेवाएं" – ₹13109.00 लाख के मूल प्रावधान को फरवरी, 2024 मे ₹1791.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹14900.00 लाख तक बढ़ाया गया। तथापि, मोटर वाहनों, मशीनरी और उपकरणों, सूचना कम्प्यूटर दूरसंचार उपकरण, फर्नीचर और फिक्सचर और अन्य निर्धारित परिसंपत्तियों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और परियोजना स्पर्श के लिए कम दावे प्राप्त होने के कारण ₹2100.09 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

(A) Major Head "4070" - "Direction and Administration - Secretariat-General Services" - the original provision of ₹13109.00 lakhs was augmented to ₹14900.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1791.00 lakhs in February, 2024. However, there was a saving of ₹2100.09 lakhs (including supplementary grant) - due to requirement of less funds towards motor vehicles, machinery & equipment, Information Computer Telecommunication equipment, furniture & fixtures and other fixed assets and receipt of less claims for Project SPARSH.

(खा) मुख्य शीर्ष "4216" – "सरकारी आवासीय भवन – अन्य आवासन – निर्माण" – ₹2450.00 लाख के मूल प्रावधान को फ़रवरी 2024 में ₹545.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹2995.00 लाख तक बढ़ाया गया। तथापि, राष्ट्रीय रक्षा वित्तीय प्रबंधन संस्थान अकादमी, पुणे के नए परिसर की संविदा और परियोजना को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा दिल्ली कंेट में आवासीय और ट्रांजिट आवास के निर्माण कार्य के धीमे निष्पादन होने के कारण ₹752.36 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

(B) Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Other Housing - Construction" - the original provision of ₹2450.00 lakhs was augmented to ₹2995.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹545.00 lakhs in February, 2024. However, there was a saving of ₹752.36 lakhs (including supplementary grant) - due to non-finalisation of contract & project of new campus of National Academy of Defence Financial Management Institute, Pune and slow execution of work of residential and transit accommodation in Delhi Cantt by the executing agency.

(III) मुख्य शीर्ष "4059" – "अन्य भवन – निर्माण" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(III) Under Major Head "4059" - "Other Buildings - Construction" - savings occurred under the following heads:-

(का) "रक्षा लेखा विभाग" – ₹956.26 लाख की बचत (₹2000.00लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय रक्षा वित्तीय प्रबंधन संस्थान अकादमी, पुणे के नए परिसर की संविदा को अंतिम रूप देने में विलंब होने और कार्यान्वयन एजेंसी अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के संपादन की धीमी गति होने के कारण हुई।

(A) "Defence Account Department" - saving of ₹956.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to delay in finalisation of contract for new campus of National Academy of Defence Financial Management Institute, Pune and slow execution of works by the executing agency.

(खा) "रक्षा संपदा संगठन" – ₹1432.19 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भवन और ढांचों के लिए कम मात्रा में निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(B) "Defence Estate Organisation" - saving of ₹1432.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards buildings and structures.

(IV) मुख्य शीर्ष "4075" – "निदेशन और प्रशासन – अन्य कार्यालय" – ₹1654.98 लाख की बचत (₹2320.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मोटर वाहनों, मशीनरी और उपकरणों, सूचना कम्प्यूटर दूरसंचार उपकरण, फर्नीचर और फिक्सचर और अन्य निर्धारित परिसंपत्तियों के लिए कम मात्रा में निधियों की आवश्यकता होने और खरीद को अनुमोदन नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "4075" - "Direction and Administration - Other Offices" - saving of ₹1654.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2320.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards motor vehicles, machinery & equipment, Information Computer Telecommunication equipment, furniture & fixtures and other fixed assets and non-approval of procurements.

6.(I) उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹37200.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हो गईं जैसा कि फरवरी, 2024 में मुख्य शीर्ष "4047" – "सीमा शुल्क – तट रक्षक संगठन" के अंतर्गत ₹24135.00 लाख का पूरक

6.(I) The above savings were partly (₹37200.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹24135.00

अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, ₹34788.69 लाख का अधिक व्यय हुआ।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "5054" – "सामरिक और सीमा सड़कें – सड़क निर्माण कार्य – सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत निर्माण कार्य" के तहत ₹15891.43 लाख के अधिक व्यय (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹137500.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹593000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम से संबंधित के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए और जी ई एम के बकाया बिलों के निपटान के लिए मुख्य शीर्ष "4552" से निधियों को कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुआ।

lakhs in February, 2024 under Major Head "4047" - "Customs - Coast Guard Organisation". Actual excess, however, was ₹34788.69 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "5054" - "Strategic and Border Roads - Road Works - Works under Border Roads Organisation" - excess of ₹15891.43 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹593000.00 lakhs including supplementary grant of ₹137500.00 lakhs obtained in December, 2023) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional head for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern region and Sikkim and clearance of outstanding bills of GeM.